50

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2003 विविध - 1461 - III/03

1- श्रीमती सुशीलादेवी पत्नी श्री राजेंद्रप्रसाद गुप्ता
2- अरविन्द्रकुमार पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता
3- सुनीलकुमार पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता
निवासीगण ग्राम ब्यौहारी, तहसील ब्यौहारी
जिला शहडोल म0प्र0

----प्रार्थीगण

विरुद्ध

1- रामकृपाल तिवारी पुत्र श्री छकोड़ीराम तिवारी
(मृत) वारिसान :-

(अ) श्रीमती रमादेवी विधवा पत्नी रामकृपाल
निवासिन ब्यौहारी, तहसील ब्यौहारी
जिला शहडोल

(ब) राजेंद्र प्रसाद तिवारी पुत्र रामकृपाल तिवारी
अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, कार्यपालन
यंत्री सिंचाई विभाग, सीधी

(स) राघवेंद्र प्रसाद तिवारी पुत्र रामकृपाल तिवा
अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय जिला वन
अधिकारी राजनादगांव छत्तीसगढ़

(द) रानी (पुत्रियां रामकृपाल तिवारी
(इ) मुन्नी (द्वारा श्रीमती रमादेवी पत्नी
(फ) बेबी (रामकृपाल तिवारी निवासिन
ब्यौहारी, तहसील ब्यौहारी जि0 शहडोल

2- सेन्ट्रल रेल्वे ब्यौहारी,
तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल

3- सीताराम पुत्र मंगाली कहार (मृत) वारिसान :-

(अ) स्वामीदीन पुत्र सीताराम
छतेनी निवासी रेल्वे स्टेशन के पास
पो. पथरहटा जिला शहडोल म0प्र0

(ब) गणेश प्रसाद पुत्र सीताराम
अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस कार्यालय के
पीछे) ब्यौहारी, तह. ब्यौहारी
जिला शहडोल

बोर्ड सचिव राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर
30 SEP 2003

(स) गोविंद प्रसाद पुत्र सीताराम
गैंग मैन, गैंग नं0 17 छतैनी रेल्वे स्टेशन पो०
पथरहटा जिला शहडोल

(द) भैयालाल पुत्र सीताराम कहार
उमरिहा तालाब के पास ब्यौहारी
जिला शहडोल

(इ) लैसी बाई
(फ) कैलसिया बाई
(य) ललिया बाई
(र) कौशिल्या बाई
पुत्रियां सीताराम कहार द्वारा गणेशप्रसाद आत्मज सीताराम कहार, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस कार्यालय के पीछे) ब्यौहारी
जिला शहडोल म०प्र०

------प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1219/95 में पारित आदेश दिनांक 9-4-2003 जिसके द्वारा निगरानी को अबेट माना गया है, अबेटमेन्ट निरस्त किए जाने हेतु आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 9 सी॰पी॰सी॰ सहपठित धारा 32 म॰प्र॰ भू-राजस्व संहिता 1959॰

श्रीमान्,

उपरोक्त प्रकरण में अबेटमेन्ट निरस्त किए जाने हेतु आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1- यहकि प्रतिप्रार्थीगण क्रमांक 1 रामगोपाल एवं प्रतिप्रार्थी क्र॰ 3 सीताराम की मृत्यु की कोई जानकारी प्रार्थीगण को नहीं थी इस कारण समय मृतक के विधिक उत्तराधिकारियों को अभिलेख पर लाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

2- यहकि उपरोक्त निगरानी प्रकरण इस माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था। कानूनन निगरानी प्रकरण अबेट नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में अबेट मान कर निरस्त किए जाने का आदेश अधिकार रहित है।

----3

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक मिस0 1461–तीन/03 जिला–शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
7/3/18	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। 2– प्रकरण का मुख्य सारांश इस प्रकार है कि प्रकरण कमांक निगरानी आर0 एन0/219/95 में अनावेदक कमांक–1, 3 की मृत्यु होने के कारण आवेदक अधिवक्ता द्वारा वारिसानों की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी जिसके कारण दिनांक 9.4.03 को प्रकरण अवैट कर दिया गया था। 3–आवेदक अधिवक्ता तर्क है कि अनावेदक कमांक 1, 3 के मृत होने की जानकारी नहीं थी इसलिये विधिक वारिसानों की जानकारी प्रस्तुत नहीं की जा सकी। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क में कहा गया है कि आदेश पत्रिका दिनांक 9.4.03 में आदेश पत्रिका दिनांक 9.12.01 का उल्लेख किया गया है जबकि अभिलेख में 9.12.01 की कोई आदेश पत्रिका है ही नहीं। यह भी बताया गया है कि मृत्यु के संबंध में कोई निश्चित दिनांक प्रतिप्रार्थीगण की ओर से नहीं बताया गया है। 4– आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया। मूल प्रकरण में निगरानी आर0 एन0/219/95 में अनावेदक कमांक–1, 3 की मृत्यु होने के संबंध में कोई प्रमाण नहीं है । अतः यह	

प्रकरण समाप्त कर मूल प्रकरण पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है तथा आवेदक अधिवक्ता अनावेदक कमांक 1, 3 के विधिक वारिसानों के संबंध में निगरानी मेमों में संशोधन करें। प्रकरण का निराकरण कर समाप्त किया जाता है।

सदस्य